संख्या-64/2017/आर-296/26-3-2017-3(विविध)/2017

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-27 अप्रैल, 2017

विषय-यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधायें स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक-03 जनवरी, 2017 में निहित व्यवस्थानुसार यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों को उक्त शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधायें दिनांक-01 जनवरी, 2016 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निगम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता उ0प्र0शासन के सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था यथावत् रहेगी। निगम के कार्मिकों को वर्तमान में मिल रहें अन्य भत्ते/सुविधाओं को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में यथावत रखा जायेगा।

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की कार्यवाही राजकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2/1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को निगम द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से स्वयं वहन किया जायेगा और इस हेतु कोई शासकीय अनुदान देय नही होगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-64/आर-296(1)/26-3-2017तद्दिनांक-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0लखनऊ।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in